

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर, जिला भीलवाडा

देवेन्द्र

बनाम. आर

किस्म मुकदमा 128

नं.

61

सन 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-7-19	-वाद/प्रार्थना पत्र बाद जाच प्राप्त हुआ। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिसल वास्ते सम्मन बईन्तजार दिनांक 11.9.19 को पेश हो।	
11.9.19	<p>पत्रावली पेश हुई बकाए नरक उपाक्षेपे अप्रार्थी मरण उ सुम्बा लोका बाल्य स्वप्न उपाक्षेपे पेश गए सम्कार उपाक्षेपे। अप्रार्थी सुम्बा 1, 2 व 4 का बज्र सूचना सामील अनुसन्धि का बर सोबल दिनांक के बजावज्र से अनु उपाक्षेपे रहे। उमेक अप्रार्थी सुम्बा 1, 2, व 4 के बिम्ब एक तरफा कारोबारे के आदेश दिए जाते है। अप्रार्थी सुम्बा 3 ने प्रत्यर उदि करेन के कोई आपत्ती जाहिर नही करे। पत्रागार सम्कार ने भी कोई आपत्ती जाहिर नही करे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र में पेश सुम्बा। से वर्गीक आरोजीयात का राजस्व प्रिकार अनुसार प्रत्यर उदि बज्र के आदेश दिए जाते है।</p> <p>सहस्रीलदार बदनोर को सहस्रील जारी हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (S.D.O.) बदनोर</p> <p>पल्लवगुडडी किरीपानि पा सुबे कोर कापति 9819</p> <p>सुसुपि बाथ</p> <p>11/9/19</p> <p>सहायक कलक्टर (S.D.O.) बदनोर</p>

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बदनोर, जिला भीलवाडा

कमांक/रा0कोर्ट/2019/1052

दिनांक: 18.9.19

प्रेषिति-

तहसीलदार, बदनोर

विषय-मु.त.प्र.सं 61/2019 अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम। आदेश दिनांक 11.09.19 की पालनार्थ बाबत।


अनवान

1. देवेन्द्र पिता महावीरसिंह राजपुत निवासी चैनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. पुष्पेन्द्रसिंह पिता महावीरसिंह राजपुत निवासी चैनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।

बनाम

1. आसू पिता सफी छीपा राजपूत निवासी चैनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. राधेश्याम पिता बंशीलाल सैन निवासी चैनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. सुख पिता बालु तेली निवासी चैनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. भंवर सिंह मनोहरसिंह राजपुत निवासी चैनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बदनोर तहसील बदनोर।

विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा के आदेशानुसार लेख है कि खाता सं0 367 की आराजी नम्बर 1314 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 1315 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 1316 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 1317 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 1318 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 1321 रकबा 0.21 है0, आराजी नम्बर 1322 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 1323 रकबा 0.52 है0, आराजी नम्बर 2158/1319 रकबा 0.19 है0, कुल किता 10 रकबा 1.48 है0 भूमि वाके ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का चैनपुरा तहसील बदनोर की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भू0अभिलेख निरीक्षक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क राजकोष में जमा किये जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। अतएवं पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट मय चालान की प्रति, मौका पर्चा रिपोर्ट मय तामिलि सूचना रिपोर्ट सहित, इस न्यायालय में 15 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवावे।


सहायक कलक्टर
(S.D.O. बदनोर)